न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

राजस्व वाद संख्या 189/2022

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती मोनिका जाखड़ आर0ए0एस0

1. श्योजीराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर।
2. श्रवण पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर।
3. दयाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर।

वादी

बनाम

1. रामलाल पुत्र किशना जाति जाट निवासी मगरा तहसील व जिला अजमेर।
2. सुप्यार पुत्री रामलाल पत्नी सांवतराम जाति जाट निवासी थाकणों की ढाणी, रूपनगढ जिला अजमेर।
3. छोटी पुत्री रामलाल पत्नी पांचूराम (फौत)
   3/1 राहुल पुत्र छोटी व पांचूराम जाति जाट निवासी थाकणों की ढाणी, रूपनगढ जिला अजमेर।
   3/2 धर्मा पुत्र छोटी व पांचूराम जाति जाट निवासी थाकणों की ढाणी, रूपनगढ जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी, अजमेर।

प्रतिवादी

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री हरदत्त सहारण — अभिभाषक वादी
2. श्री करण सिंह गुर्जर — अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 से 3

निर्णय

दिनांकः— 07/05/2024

वादीगण की ओर से यह वाद पत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया वाद पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में अपने परिवार का सजरा दर्शाया गया है। सजरे मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 के दादा व प्रतिवादी संख्या 3/1 व 3/2 के पडनाना किशना की भूमि ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर के खसरा नं. 605 रकबा 0.7700, खसरा नं. 607 रकबा 1.0800 खसरा नं. 617/938 रकबा 0.5200, खसरा नं. 618/971 रकबा 0.0800, खसरा नं. 627 रकबा 0.3700, खसरा नं. 631 रकबा 0.3600 खसरा नं. 634 रकबा 0.5700, खसरा नं. 650 रकबा 0.5200, खसरा नं. 658 रकबा 0.3200, खसरा नं. 659 रकबा 0.4900, खसरा नं. 755 रकबा 0.2100, खसरा नं. 757 रकबा 0.1900, खसरा नं. 766 रकबा 0.4500 कुल किता 13 कुल रकबा 5.9300 हैक्टेयर है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 के दादा व प्रतिवादी संख्या 3/1 व 3/2 के पडनाना के नाम ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर के खसरा नं. 655 रकबा 0.1100 खसरा नं. 758 रकबा 0.0700 हैक्टेयर में वादीगण के दादा का 1/6 हिस्सा जिसमें वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का 1/18 हक व हिस्सा है तथा ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर के खसरा नं. 619/970 रकबा 0.0800, खसरा नं. 620 रकबा 0.0200 जिसमे वादीगण के दादा का 1/8 जिसमें वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का 1/24 हक व हिस्सा है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के दादा किशना की कृषि भूमि थी। उक्त कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3/1 व 3/2 का जन्म से ही बहिस्सा बराबर भूमि का अधिकारी है परन्तु वादीगण के दादा किशना की मृत्यु के उपरान्त अकेले प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता रामलाल ने साज बाज कर उक्त सम्पूर्ण भूमि को अपने स्वयं के नाम करवा ली। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सम्पूर्ण

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

पैतृक भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/2 का 1/6 हिस्सा जन्म से ही कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3/1, 3/2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इकबाली जवाब दावा दिनांक 10.01.2023 को पेश करते हुए कथन किया कि उक्त आराजीयात में वर्णित भूमि मुझ प्रतिवादी के पिता के नाम की भूमि है जिसकी मृत्यु उपरान्त मेरे को विरासतन प्राप्त हुई थी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कानूनी स्थिति के मध्यनजर मेरे विधिक वारिसों के नाम यदि बहिस्सा बराबर दर्ज कर लिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है मैं परिवार में किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहता, अपने हक हिस्से अनुसार अपने नाम दर्ज करवाने के बावत कोई आपत्ति नही है मौके पर सभी विधिक वारिसान अपने–अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में मेरे अकेले के नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 व 3/1, 3/2 ने इकबाली दावा प्रस्तुत कर कथन किया की दावा में वर्णित भूमि मुझ प्रतिवादी के दादा/पडनाना की पैतृक भूमि है। जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हम बेटियों का बराबर हक व अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार तलबी के बावजूद अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी ने प्रतिवादी सं. 4 के फॉर्मल पक्षकार होने से जवाब बंद करने का निवेदन किया। अतः निवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 4 का जवाब बंद किया गया। दिनांक 11.01.2024 को बंद किया गया।

वादीगण के साक्ष्य हेतु पत्रावली हेतु नियत की गई जिस पर वादी संख्या 1 स्वयं श्योजीराम उपस्थित होकर शपथ–पत्र पेश किया व दस्तावेजी साक्ष्य मे जमाबंदी सम्वत 2071–2074 प्रर्दश–1, जमाबंदी सम्वत 2067–70 प्रर्दश–2, जमाबंदी सम्वत 2071–2074 प्रर्दश–3, जमाबंदी सम्वत 2071–2074 प्रर्दश–4 को प्रदर्शित करवाया। मौखिक साक्ष्य में श्योजीराम पुत्र रामलाल के शपथ पत्र पर प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की जिरह नहीं की गई। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की।

उभयपक्षकारों की बहस सुनी गई। वादीगण के अभिभाषक द्वारा वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल दावा प्रस्तुत किया जा चुका है जिससे वादीगण का वाद प्रस्तुत दस्तावेजों एवं इकबाल दावा के मध्यनजर साबित होने से वादीगण का वाद डिक्री किया जावें। वादीगण अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश किये जो निम्न हैः– 1.आर.एल.डब्ल्यू. 2010(1) राज. पृ.सं. 313 2.आर.एल.डब्ल्यू. 2005(2) राजस्व पृ.सं. 218 3.आर.एल.डब्ल्यू. 2016(2) राजस्व पृ.सं. 1192 4.आर.आर.टी 2023(1) पृ.सं. 648 5.आर.आर.टी 2016(1) पृ.सं. 1402 6. आर.एल.डब्ल्यू. 2013(2) राजस्व पृ.सं. 1139 इकबाली दावा में प्रतिवादी 4 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं होने एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं न्यायिक दृष्टांतो को देखने से यह साबित हो रहा है कि सजरे मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 के दादा व प्रतिवादी संख्या 3/1 व 3/2 के पडनाना किशना की भूमि ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर के खसरा नं. 605 रकबा 0.7700, खसरा नं. 607 रकबा 1.0800 खसरा नं. 617/938 रकबा 0.5200, खसरा नं. 618/971 रकबा 0.0800, खसरा नं. 627 रकबा 0.3700, खसरा नं. 631 रकबा 0.3600 खसरा नं. 634 रकबा 0.5700, खसरा नं. 650 रकबा 0.5200, खसरा नं. 658 रकबा 0.3200, खसरा नं. 659 रकबा 0.4900, खसरा नं. 755 रकबा 0.2100, खसरा नं. 757 रकबा 0.1900, खसरा नं. 766 रकबा 0.4500 कुल किता 13 कुल रकबा 5.9300 हैक्टेयर है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 के दादा व प्रतिवादी संख्या 3/1 व 3/2 के पडनाना के नाम ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर के खसरा नं. 655 रकबा 0.1100 खसरा नं. 758 रकबा 0.0700 हैक्टेयर में वादीगण के दादा का 1/6 हिस्सा जिसमें वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का 1/18 हक व हिस्सा है तथा ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर के खसरा नं. 619/970 रकबा 0.0800, खसरा नं. 620 रकबा 0.0200 जिसमे वादीगण के दादा का 1/8 जिसमें वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का 1/24 हक व हिस्सा है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के दादा किशना की

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

अजमेर

कृषि भूमि थी। उक्त कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3/1 व 3/2 का जन्म से ही बहिस्सा बराबर भूमि का अधिकारी है परन्तु वादीगण के दादा किशना की मृत्यु के उपरान्त अकेले प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता रामलाल ने साज बाज कर उक्त सम्पूर्ण भूमि को अपने स्वयं के नाम करवा ली। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सम्पूर्ण पैतृक भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/2 का 1/6 हिस्सा जन्म से ही कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दादा की भूमि में पोत्र एवं पौत्री का जन्म से ही हक अधिकार है जो न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है। जो जमाबंदी सम्वत 2071–2074 प्रर्दश–1, जमाबंदी सम्वत 2067–70 प्रर्दश–2, जमाबंदी सम्वत 2071–2074 प्रर्दश–3, जमाबंदी सम्वत 2071–2074 प्रर्दश–4 से स्वयं सिद्व है। वादीगण के दादा से विरासतन भूमि वादीगण के पिता रामलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि दादा की भूमि वादीगण का हक अधिकार होने से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3/1, 3/2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर के खसरा नं. 605 रकबा 0.7700, खसरा नं. 607 रकबा 1.0800 खसरा नं. 617/938 रकबा 0.5200, खसरा नं. 618/971 रकबा 0.0800, खसरा नं. 627 रकबा 0.3700, खसरा नं. 631 रकबा 0.3600 खसरा नं. 634 रकबा 0.5700, खसरा नं. 650 रकबा 0.5200, खसरा नं. 658 रकबा 0.3200, खसरा नं. 659 रकबा 0.4900, खसरा नं. 755 रकबा 0.2100, खसरा नं. 757 रकबा 0.1900, खसरा नं. 766 रकबा 0.4500 कुल किता 13 कुल रकबा 5.9300 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/2 का 1/6 हिस्सा व खसरा नं. 655 रकबा 0.1100 खसरा नं. 758 रकबा 0.0700 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादी के पिता का 1/18 हिस्से मे से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/2 का 1/6 हिस्सा हक हिस्सा व खसरा नं. 619/970 रकबा 0.0800, खसरा नं. 620 रकबा 0.0200 जिसमे वादीगण के पिता के नाम दर्ज भूमि 1/24 हिस्से मे से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/2 का 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पांबद किया जाता है कि उक्त खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करे ना ही करावे। तहसीलदार अजमेर को आदेश दिये जाते है कि उक्त आराजी की भूमि को वादीगण व प्रतिवादी 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/2 के नाम अभिलेख में दर्ज दुरूस्त करावे। डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/05/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री व मुददमे इब्दते

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज0 का0 अधि01955 सपठित

मुकदमा नम्बरः–189/2022

1. श्योजीराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर।
2. श्रवण पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर।
3. दयाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर।

वादी

बनाम

1. रामलाल पुत्र किशना जाति जाट निवासी मगरा तहसील व जिला अजमेर।
2. सुप्यार पुत्री रामलाल पत्नी सांवतराम जाति जाट निवासी थाकणों की ढाणी, रूपनगढ जिला अजमेर।
3. छोटी पुत्री रामलाल पत्नी पांचूराम (फौत)
   3/1 राहुल पुत्र छोटी व पांचूराम जाति जाट निवासी थाकणों की ढाणी, रूपनगढ जिला अजमेर।
   3/2 धर्मा पुत्र छोटी व पांचूराम जाति जाट निवासी थाकणों की ढाणी, रूपनगढ जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी, अजमेर।

प्रतिवादी

दिनांक :– 07/05/2024

वादी अभिभाषक श्री हरदत्त सहारण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 अभिभाषक श्री करण गुर्जर असालतन स्वंय उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 07/05/2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री मोनिका जाखड आर0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि :– वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर के खसरा नं. 605 रकबा 0.7700, खसरा नं. 607 रकबा 1.0800 खसरा नं. 617/938 रकबा 0.5200, खसरा नं. 618/971 रकबा 0.0800, खसरा नं. 627 रकबा 0.3700, खसरा नं. 631 रकबा 0.3600 खसरा नं. 634 रकबा 0.5700, खसरा नं. 650 रकबा 0.5200, खसरा नं. 658 रकबा 0.3200, खसरा नं. 659 रकबा 0.4900, खसरा नं. 755 रकबा 0.2100, खसरा नं. 757 रकबा 0.1900, खसरा नं. 766 रकबा 0.4500 कुल किता 13 कुल रकबा 5.9300 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/2 का 1/6 हिस्सा व खसरा नं. 655 रकबा 0.1100 खसरा नं. 758 रकबा 0.0700 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादी के पिता का 1/18 हिस्से मे से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/2 का 1/6 हिस्सा हक हिस्सा व खसरा नं. 619/970 रकबा 0.0800, खसरा नं. 620 रकबा 0.0200 जिसमे वादीगण के पिता के नाम दर्ज भूमि 1/24 हिस्से मे से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/2 का 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पांबद किया जाता है कि उक्त खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करे ना ही करावे। तहसीलदार अजमेर को आदेश दिये जाते है कि उक्त आराजी की भूमि को वादीगण व प्रतिवादी 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/2 के नाम अभिलेख में दर्ज दुरूस्त करावे। डिक्री इसी कदर जारी हो।

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1–वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2–शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3–प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4–...रूपये पर प्लीडर की फीस 5–साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6–कमिश्नर की फीस 7–आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह –व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

सहायक कलक्टर (मु०), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner